



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2016/फाल्गुन 7, 1937

No. 520]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2016/PHALGUNA 7, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2016

का.आ. 609(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में उत्तर 31°31' 45 अक्षांश और 77°09' 24 देशांतर, पूर्व 31°27' 08 अक्षांश और 77°13' 54 देशांतर, दक्षिण 31°27' 08 अक्षांश और 77°13' 54 देशांतर और पश्चिम 31°30' 32 अक्षांश और 77°05' 41 देशांतर, में 29.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

और, इस अभयारण्य का अभिप्राय प्रचुर जैविक जीवजंतु और वनस्पतियों का वर्णन करना है। क्षेत्र के वनों में शंकुवृक्ष में देवदार, देवदारु, स्पूस और कॉल है और चौड़ी पत्ती की विविधता में प्रुनस, अक्यर, जगलेनस, बक्सेस, रोहडोडेनड्रोन, क्लेटिस, बेतुला, उलमस, एसलेस, अलनस, मायेरिका और ऑटर विविध स्पप खण्ड के अधीन प्रदान करता हैं ;

और, अभयारण्य की मुख्य जीव-जन्तु में तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, बनबिलाव, हिमालयन गंध बिलाव, काला भालू, साही लंगूर, सियार, साँप, मछली, चमगादड़, तित्तलियाँ आदि सम्मिलित हैं इन मुख्य पक्षी जीव-जन्तु के अलावा जैसे उत्तेजित चिलबिल, रंगबिरंगा चिलबिल, हिमालयन कठफोडवा, ग्रे बसचैट, रिंगरोज्ड तोता, ग्रे खंजन, नीला कस्तूरिका, नीला मुटरी, चकदिल, चचरी, तूती, वरबलर, कबूतर, ग्रे तीतर, शिकरा, सामान्य हुदहुद, हिमालयन ग्रिफन, मयूर, टिट्स, मछलियाँ आदि हैं फेजेंट में मोनल, कॉकलेस, कलिज आदि होते हैं ;

और, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.0 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 19.20 वर्ग किलोमीटर में शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 50 मीटर से 2.0 किलोमीटर के विस्तार तक फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध I के रूप में संलग्न है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध II के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के व्यौरों के साथ मानचित्र और इसके अक्षांश और देशान्तर उपाबंध III के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;

- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग;

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, 21, 31, 35 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगृह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं; और
- (v) वर्षा जल संचय ।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** — (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्साव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्साव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन.**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाईयां.**—(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
----------	------------	--------------

(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	नई वृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कार्यकलापों या विद्यमान कार्यकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुरूप होंगे।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा। (ग) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।

12.	ट्रेनिंग ग्राउंड।	नए ट्रेनिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है। पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13.	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्वाह और टोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	भूमिगत जल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
18.	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्युत लाइनों का इन्सुलेशन।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाएगा। सभी विद्यमान विद्युत लाइनें जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरती हैं, को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय-सूची में पर्याप्त रूप से इन्सुलेट किया जाएगा।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
23.	लोक अधिकार।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	लघु चारे का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग, जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	सिवाय आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात के किसी संनिर्माण कार्यकलाप को 1 से 10 से अधिक ढाल वाली पहाड़ियों पर और किसी नदी और प्राकृतिक नाले से लगभग 100 मीटर तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
31.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
संवर्धित क्रियाकलाप		

32.	डेयरियों, डेयरी फार्मिंग, जल कृषि और मत्स्य पालन के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चालू कृषि और कृषि उद्यान पद्धतियां।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक कृषि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | उपायुक्त, मंडी | अध्यक्ष |
| (ख) | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ | सदस्य |
| (ग) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| (घ) | कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य |
| (ङ) | प्रभागीय वन अधिकारी (कुल्लू) | सदस्य |
| (च) | प्रभागीय वन अधिकारी (करसोग) | सदस्य |
| (छ) | प्रभागीय वन अधिकारी (नचन) | सदस्य-सचिव |

6. निर्देश का निबंधन..—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/179/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ चारो कोनों पर भू-निर्देशांक

	देशांतर	अक्षांश	विवरण (भू चिन्ह)
उत्तर	77°07'24.624" 77°09'20.421" 77°11'31.071"	31°30'40.547" 31°32'01.425" 31°30'44.223"	डी पी एफ दायोत, दैनत, दारोथ, लैम्ब, कलाकामेशवर, शंकर, गदौंशील
दक्षिण	77°13'51.877" 77°12'06.124" 77°11'06.755"	31°27'10.206" 31°27'40.978" 31°26'40.802"	चराती यू एफ, चजवारा पी एफ, देवोकीधर पी एफ, डी पी एफ विशलोन, दरोहल, देवोकीधर, कथियाला, सपरीनल, धरवार, दामेहरी, दरवारालशील और खुद
पूर्व	77°12'37.898" 77°12'29.653"	31°29'49.664" 31°29'07.447"	डी पी एफ केओलीनाल, शोधशील्ल, रायगढ़ और रीयारशील्ल और चरती यू एफ।
पश्चिम	77°08'38.397" 77°06'44.176" 77°05'10.55"	31°29'06.193" 31°29'51.666" 31°30'29.043"	डी पी एफ चुरासनी, यू एफ चुरासनी, डी पी एफ तोखरीनाल, चरागती, तुनगरासनी को फालोत की उत्तरी सीमा से जोड़ती है।

उपाबंध-II

शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची


प्रभाग	क्र.सं	ग्रामों के नाम	अक्षांश	देशांतर
कारसोग	1	मोराहाला	31° 27' 35.1"उ	77° 11'37.9"पू

	2	चुरासानी	31°27'07.5"उ	77°11'08.5"पू
	3	दधवार	31°27'35"उ	77°11'37.9"पू
	4	नसरर	31° 27' 52.7"उ	77° 11' 42.4"पू
नचन	1	कइलोनी	31°29.925'उ	077°07.368'पू
	2	सोडा दर	31°30.253'उ	077°06.583'पू
	3	तुनग्रसन	31°30.342'उ	077°06.259'पू
	4	कोहाधर	31°30.374'उ	077°06.148'पू
	5	उच्च ढकरू	31°30.275'उ	077°05.958'पू
	6	लोबर ढकरू	31°30.272'उ	077°05.887'पू
	7	उच्च रियोसी	31°30.046'उ	077°05.387'पू
	8	लोबर रियोसी	31°30.070'उ	077°05.329'पू
	9	धरावत	31°30.66.4'उ	077°07.93.8'पू
	10	निम्न धरावत	31°30.70.4'उ	077°08.28'पू
	11	गूरारा	31°31.0.86'उ	077°08.94.0'पू
	12	जमली	31°31.0.92'उ	077°08.94.0'पू
	13	जरयदि	31°31.10.5'उ	077°09.11.4'पू
	14	दिगली	31°31.11.4'उ	077°09.0.13'पू
	15	जवल	31°31.27.5'उ	077°08.9.19'पू
	16	नरोट	31°31.41.4'उ	077°09.11.5'पू
	17	बयन्ड	31°31.29.1'उ	077°09.28.7'पू
	18	शाल	31°31.16.9'उ	077°09.35.2'पू
	19	बनसील	31°31.76.2'उ	077°09.18.5'पू
	20	लॉब	31°31.55.2'उ	077°09.3.01'पू
	21	उच्च पयाला	31°31.56.8'उ	077°09.3.01'पू
	22	निम्न पयाला	31°31.62.0'उ	077°09.8.45'पू
	23	मुरहाला	31°31.76.6'उ	077°09.11.5'पू
	24	मुझहरला	31°31.35.1'उ	077°10.11.7'पू
	25	उच्च जीमधर	31°30.99.1'उ	077°10.4.14'पू
	26	निम्न जीमधर	31°30.98.5'उ	077°10.52.4'पू
	27	उच्च सच	31°31.26.9'उ	077°09.53.3'पू

28	निम्न सच	31°31.15.7'उ	077°09.66.5'पू
29	उच्च बुनगटु	31°30.68.1'उ	077°09.86.4'पू
30	निम्न बुनगटु	31°30.72.5'उ	077°09.80.4'पू
31	लिग	31°30.20.4'उ	077°11.14.9'पू
32	धलियारा द्वार	31°30.35.8'उ	077°11.16.6'पू
33	किलवा	31°29.38.3'उ	077°12.56.6'पू
34	सिल्ह	31°29.41.2'उ	077°12.42.7'पू
35	चेइरा	31°28.35.1'उ	077°11.57.0'पू
36	बनसोर	31°28.43.5'उ	077°11.57.0'पू
37	धलियार	31°28.58.9'उ	077°12.03.4'पू
38	जनिहर डोगहारी	31°28.17.4'उ	077°13.58.3'पू
39	लेहरा डोगहारी	31°30.33.0'उ	077°13.33.1'पू

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर सहित शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2016

S.O. 609(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Shikari Devi Wildlife Sanctuary located in Mandi District, Himachal Pradesh and lying in North Latitude 31031'45" N and Longitude 77009'24" E, East Latitude 31027'08" N and Longitude 77013'54" E, South Latitude 31027'08" N and Longitude 77013'54" E, West Latitude 31030'32" N and Longitude 77005'41" E and is spread over an area of 29.94 square kilometres;

And whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary. The area has forests of Deodar, Fir, Spruce and Kall among conifers and has a variety of broad leaved spp. Among them are Prunus, Acer, Juglans, Buxus, Rhododendron, Celtis, Betula, Ulmus, Aesculus, Alnus, Myrica and other miscellaneous species providing under storey;

And whereas, the fauna of this sanctuary include leopard, leopard cat, jungle cat, Black bear, monkey, langur, barking deer, snakes, flying squirrel etc. and besides this many Avi fauna spp like streaked laughing thrush, variegated laughing thrush, Himalyan woodpecker, Grey bushchat, Ring rosed parakeet, Grey wagtail, blue whistling thrush, blue magpie, fantail, pipit, rosefinch, warbler, rock pigeon, Grey partridge, Shikra, Common hoopoe, Himalayan griffon, Tits, fishes, Golden Eagle, black Drongo, etc. Among pheasants there are Monal, Koklash, Kaleej, Chukor etc.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Shikari Devi Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 50 meters to up to 2.0 kilo metres around the boundary of Shikari Devi Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Shikari Devi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 19.20 square kilometre with an extent varying from 50 metre to 2.0 kilometre around the Shikari Devi Wildlife Sanctuary. and the boundary description of the such zone is appended as **Annexure-I**.

(2) The list of villages falling with in the Eco-sensitive Zone is appended at Annexure-II.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land use.**— Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 21, 22, 36 and 37 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:—

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**— (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Shikari Devi Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated area for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into bio-degradable and non-bio-degradable components;

(iii) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.**—(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE		
Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11.	Construction activities.	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3;

		<p>b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any;</p> <p>c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan;</p> <p>(d) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.</p>
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds shall be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government;</p> <p>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder;</p> <p>(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	<p>Regulated under applicable laws.</p> <p>In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.</p>
23.	Public rights.	Regulated under applicable laws.
24.	Collection of small fodder.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.

26.	Commercial use of Natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
27.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
Premitted activities		
32.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (a) Deputy Commissioner, Mandi -Chairman;
- (b) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of one year. -Member;
- (c) One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year. -Member;
- (d) Executive Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board -Member;
- (e) Divisional Forest Officer (Kullu) -Member;
- (f) Divisional Forest Officer (Karsog) -Member;
- (g) Divisional Forest Officer (Nachan) -Member-Secretary .

- 6. Terms of Reference.**—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure IV.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No.25/179/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**Geo-coordinates at Four Corners along boundary of Eco-sensitive Zone.**

	Longitude	Latitude	Description(Landmarks)
North	77 ^o 07'24.624" 77 ^o 09'20.421" 77 ^o 11'31.071"	31 ^o 30'40.547" 31 ^o 32'01.425" 31 ^o 30'44.223"	DPF Dayot, Daint, Darohta, Lamb, Kalakameshwar, Shankar, Gadaunshill
South	77 ^o 13'51.877" 77 ^o 12'06.124" 77 ^o 11'06.755"	31 ^o 27'10.206" 31 ^o 27'40.978" 31 ^o 26'40.802"	Charati UF, Chajwara PF, Deokidhar PF, DPF Bishlon, Darahal, Deokidhar, Kathiala, Saprinal, Dharwar, Damehri, Darwaralshil and Khud

East	77°12'37.898" 77°12'29.653"	31°29'49.664" 31°29'07.447"	DPF Keolinal, Shodhashill, Raigarh and Riarashill and Charti UF.
West	77°08'38.397" 77°06'44.176" 77°05'10.55"	31°29'06.193" 31°29'51.666" 31°30'29.043"	DPF Churasni, UF Churasni, DPF Tokharinal, Charagti, Tungrasni to join northern boundary at Phalot


ANNEXURE-II**LIST OF VILLAGE FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF SHIKARI DEVI WILDLIFE SANCTUARY**

Division	S.No.	Village Name	Latitude	Longitude
Karsog	1	Morahalla	31° 27' 35.1"N	77° 11' 37.9"E
	2	Churasani	31°27'07.5"N	77°11'08.5"E
	3	Dadwar	31°27'35"N	77°11'37.9"E
	4	Nasrar	31° 27' 52.7"N	77° 11' 42.4"E
Nachan	1	Khalouni	31°29.925'N	077°07.368'E
	2	Sodha dhar	31°30.253'N	077°06.583'E
	3	Tungrashan	31°30.342'N	077°6.259'E
	4	Kohadhar	31°30.374'N	077°06.148'E
	5	Upper Thahru	31°30.275'N	077°05.958'E
	6	Lower Thahru	31°30.272'N	077°05.887'E
	7	Upper Reyosi	31°30.046'N	077°05.387'E
	8	Lower Reyosi	31°30.070'N	077°05.329'E
	9	Dharawat	31°30.664'N	077°07.93.8'E
	10	Lower Dharawat	31°30.704'N	077°08.28'E
	11	Gurara	31°31.0.86'N	077°08.94.0'E
	12	Jamli	31°31.0.92'N	077°08.94.0'E
	13	Jaryad	31°31.10.5'N	077°09.11.4'E
	14	Dingali	31°31.11.4'N	077°09.0.13'E
	15	Jawal	31°31.27.5'N	077°08.9.19'E
	16	Narot	31°31.41.4'N	077°09.11.5'E
	17	Bayand	31°31.29.1'N	077°09.28.7'E
	18	Shal	31°31.16.9'N	077°09.35.2'E
	19	Banshil	31°31.76.2'N	077°09.18.5'E
	20	Lamb	31°31.55.2'N	077°09.3.01'E
	21	Upper Payala	31°31.56.8'N	077°09.3.01'E
	22	Lower Payala	31°31.62.0'N	077°09.8.45'E
	23	Murhala	31°31.76.6'N	077°09.11.5'E
	24	Mujharla	31°31.35.1'N	077°10.11.7'E
	25	Upper Jimdhar	31°30.99.1'N	077°10.4.14'E
	26	Lower jimdhar	31°30.98.5'N	077°10.52.4'E

	27	Upper Sauch	31°31.26.9'N	077°09.53.3'E
	28	Lower Sauch	31°31.15.7'N	077°09.66.5'E
	29	Upper Bungatu	31°30.68.1'N	077°09.86.4'E
	30	Lower Bungatu	31°30.72.5'N	077°09.80.4'E
	31	Ling	31°30.20.4'N	077°11.14.9'E
	32	Dhaliyara dwar	31°30.35.8'N	077°11.16.6'E
	33	Kilwa	31°29.38.3'N	077°12.56.6'E
	34	Silh	31°29.41.2'N	077°12.42.7'E
	35	Chaira	31°28.35.1'N	077°11.57.0'E
	36	Bansor	31°28.43.5'N	077°11.57.0'E
	37	Dhaliyar	31°28.58.9'N	077°12.03.4'E
	38	Janehar Doghari	31°28.17.4'N	077°13.58.3'E
	39	Lehara Doghari	31°30.33.0'N	077°13.33.1'E

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHIKARI DEVI WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise):
[Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006 : [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.
